



सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्य परिषद् की बैठक

दिनांक - 19.09.2019

समय मध्याह्न - 03:00 बजे से

स्थान - कुलपति कार्यालय

उपस्थिति

1- प्रो. राजाराम शुक्ल, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो. हरप्रसाद दीक्षित	3-	प्रो. रमेश प्रसाद
4-	प्रो. राजनाथ	5-	डा. दिनेश कुमार गर्ग
6-	डा. रविशंकर पाण्डेय	7-	डा. शीला सिंह
8-	डा. सूर्यकान्त	9-	डा. विद्या कुमारी चन्द्रा
10-	कुलसचिव - सचिव		

मंगलाचरण- डा. दिनेश कुमार गर्ग

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-1- कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.08.2019 की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के क्रम में कार्यपरिषद् के कठिनय माननीय सदस्यों ने परिषद् की बैठक दिनांक 02.08.2019 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार के अंतर्गत 'विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शैक्षिक संवर्ग के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता पर विचार के सातत्य में कुलसचिव द्वारा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर अपनी आपत्ति व्यक्त की तथा इसे कार्यवृत्त से हटाने के लिए कहा।

उपर्युक्त आपत्ति पर विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सातत्य में सम्पूर्ण प्रकरण पर विस्तृत आख्या कुलसचिव कार्यालय द्वारा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

कार्यक्रम सं.-2- कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.08.2019 में लिये गये निर्णयों के क्रियावंयन की सूचना।

परिषद् की विगत बैठक दिनांक 02.08.2019 की क्रियावंयन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय परिषद् को अवगत कराया गया था कि उक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार के अंतर्गत 'वेद अनुसंधान केन्द्र' स्थापित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्यपरिषद् के उक्त निर्णय के सातत्य में 'वेद विज्ञान अनुसंधान केन्द्र' की स्थापना के संदर्भ में अधोलिखित अध्यादेश परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

वेदविज्ञान अनुसंधान केन्द्र

उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-44 के अनुसार

1. यह केन्द्र वेद विभाग के अन्तर्गत होगा।

2. केन्द्र की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालनार्थ एक परामर्शक मण्डल होगा, जिसका गठन कुलपति द्वारा किया जायेगा। मण्डल का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
3. परामर्शक मण्डल द्वारा निर्धारित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का भी संचालन समय-समय पर केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
4. केन्द्र वेदों में निहित वैज्ञानिक तत्त्वों पर अनुसन्धान, संवाद तथा प्रकाशन एवं आवश्यकतानुसार अन्य गतिविधियों आदि का संचालन करेगा।
5. केन्द्र में निदेशक-01, सहनिदेशक-02, सहायक निदेशक-04, अनुसन्धान सहायक-04 तथा आवश्यकतानुसार गैरशैक्षणिक कर्मचारी होंगे।
6. विधिवत् पद सूजन एवं नियुक्ति होने तक कुलपति द्वारा नामित आचार्य केन्द्र का समन्वयक होगा तथा आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापक भी केन्द्र की गतिविधियों के संचालन में समन्वयक का सहयोग करेंगे।
7. केन्द्र के संचालन हेतु विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से आर्थिक/वित्तीय सहयोग लिया जायेगा।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.08.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से “वेद विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र” अध्यादेश पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए अन्य कार्यवाही पर स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम सं.-3- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 22831/2008 श्री निगमेश्वर पाण्डेय बनाम स्टेट आफ यू.पी. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के सातत्य में विश्वविद्यालय द्वारा योजित स्पेशल अपील सं.386/2019, सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय व अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी.व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2019 तथा अवमानना याचिका सं. 3325/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 के अनुपालन पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष परिषद् की विगत बैठक दिनांक 02.08.2019 में कार्यक्रम संख्या-3 के अंतर्गत उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर विचार के क्रम में लिये गये निर्णय कि-“सम्बन्धित प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये गये विधिक राय के सातत्य में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन से शीघ्रताशीघ्र दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाये।” के अनुपालन में शासन को प्रेषित किये गये अधोलिखित पत्र दिनांक 09.08.2019 प्रस्तुत किया गया-

सेवा में,

श्री सर्वेश कुमार सिंह
उप सचिव
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

विषय :- रिट याचिका संख्या 22831/2008 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.09.2018 के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1195/सत्तर-4-2019-1850/2018 दिनांक 09.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के उक्त पत्र के क्रम में अधोलिखित तथ्य प्रस्तुत है -

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-22831/2008 श्री निगमेश्वर पाण्डेय बनाम स्टेट आफ यू.पी. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के अनुपालन पर विचार हेतु प्रकरण को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.03.2019 में प्रस्तुत किया गया।

कार्यपरिषद् के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश, प्रकरण से सम्बन्धित अन्य सभी तथ्य, तथा परिषद् में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह का लिखित मन्तव्य प्रस्तुत किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्य तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह के लिखित मन्तव्य पर गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श करने के पश्चात कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह के लिखित मन्तव्य को दृष्टि में रखते हुए प्रकरण पर विधिक राय प्राप्त कर ली जाये। विधिक राय प्राप्त करने के लिए कार्यपरिषद् ने कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

कार्यपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण पर माननीय श्री कपिलदेव, वरिष्ठ अधिवक्ता, 3/237, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा विधिक राय प्राप्त की गयी।

विधिक राय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-22831/2008 के सातत्य में विश्वविद्यालय द्वारा स्पेशल अपील सं.386/2019 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य योजित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण पर दिनांक 30.04.2019 को अधोलिखित निर्णय पारित किया।

Court No. - 34

Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 386 of 2019

Appellant :- Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya And Another

Respondent :- State Of U.P. And Another

Counsel for Appellant :- Ved Byas Mishra

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Shashi Kant Dwivedi

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.

Hon'ble Rajendra Kumar-IV,J.

1. With the consent of learned counsel for parties we proceed to hear and decide the appeal finally at the stage under the Rules of the court. 2. Heard Sri Ved Byas Mishra, learned counsel for the appellants, Sri Shashi Kant Dwivedi, learned counsel for respondent
2. Learned Standing Counsel for respondents 1 and perused the record.
3. This intra-Court appeal under Chapter VIII Rule 5 of Allahabad High Court Rules, 1952 (hereinafter referred to as "Rules, 1952") has arisen from judgment dated 20.09.2018 passed by learned Single Judge in Writ Petition No.22831 of 2008 whereby learned Single Judge has allowed writ petition of petitioner-respondent 2 namely Nigameshwar Pandey with the following directions :

"21. In the light of the narrative in the preceding paragraphs -

- (I) The claim of the petitioner for being regularised/ absorbed in the respondent university against a sanctioned post is lawful and valid.
- (II) The petitioner is similarly situated to the four employees who were absorbed by order dated 2.2.2008.
- (III) The petitioner is found to be entitled to be regularised /absorbed in the respondent University from the date of the absorption of the four employees who was absorbed against the regular sanctioned posts by letter dated 2.2.2008."

4. Learned counsel for appellants contended that at the time of regularization of others, petitioner-respondent 2 was not in service and had already left the institution but when asked the date on which according to appellants petitioner had left the institution, neither any date could be informed to the Court nor there is any pleading to this effect except a vague assertion that petitioner-respondent has left the institution, therefore, he was not considered for regularization. He also could not tell that with whom he was attached to discharge his duties and who reported to Regularization Committee that he has left the job. On this aspect also no reply has come and even there is no pleading otherwise in the counter affidavit filed before learned Single Judge nor even in appeal before this Court.
5. In these facts and circumstances, we are clearly of the view that petitioner-respondent 2 has been singled out and treated in a discriminatory manner hence learned Single Judge has rightly allowed writ petition and we find no fault in the judgment passed by learned Single Judge allowing writ petition.
6. Appeal, therefore, lacks merit. Dismissed.

Order Date :- 30.4.2019

KA

Court No. - 34

Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 386 of 2019

Appellant :- Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya And Another

Respondent :- State Of U.P. And Another

Counsel for Appellant :- Ved Byas Mishra

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Shashi Kant Dwivedi

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.

Hon'ble Rajendra Kumar-IV,J.

Civil Misc. Delay Condonation Application No.1 of 2019

1. This is an application seeking condonation of delay in filing appeal.

2. Heard.

3. Cause shown is sufficient.

4. Delay in filing appeal is hereby condoned.

5. This application, accordingly, stands allowed.

6. Let appeal be registered with regular number and old number shall also continue to be shown in bracket for finding out details of case, whenever required by parties with reference to either of the two number.

Order Date :- 30.4.2019 KA

उक्त के संदर्भ में यह भी सूचनीय है कि याची श्री निगमेश्वर पाण्डेय द्वारा अवमानना याचिका सं. 3325/2019 भी योजित किया गया है। उक्त याचिका पर मा. उच्च न्यायालय दिनांक 23.05.2019 को अधोलिखित निर्णय पारित किया है-

Court No. - 10

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 3325 of 2019

Applicant :- Nigameshwar Pandey

Opposite Party :- Narendra Shankar Pandey, Principal Secretary And Another

Counsel for Applicant :- Shashi Kant Dwivedi

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.

Heard learned counsel for the applicant.

By order dated 20.9.2018 passed in Writ A No. 22831 of 2008 filed by the applicant, this

Court directed as under:

22. A mandamus is issued commanding the respondent no.3, Registrar, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and Secretary, Higher Education, Govt. of U.P. to take all consequential measures and take out an communications in regard to the absorption of the petitioner against a regularly sanctioned post within a period of six months from the date of receipt of certified copy of this order.

23. The writ petition is allowed.

Learned counsel for the applicant submits that a certified copy of the aforesaid order was submitted for compliance before the opposite party but the opposite party has wilfully not complied with the order and, thus, has committed civil contempt liable for punishment under Section 12 of the Contempt of Courts Act, 1971.

Prima facie a case of contempt has been made out. However, considering the facts and circumstances of the case, one more opportunity is afforded to the opposite party to comply with the aforesaid order of the writ Court within three months from the date of production of a certified copy of this order.

The applicant shall supply a duly stamped registered envelope addressed to the opposite party and another self-addressed envelope to the office within one week from today. The office shall send a copy of this order along with the self-addressed envelope of the applicant with a copy of contempt application to the opposite party within one week thereafter and keep a record thereof.

The opposite party shall comply with the directions of the writ court and intimate the order to the applicant through the self-addressed envelope within a week thereafter. With the aforesaid observations, this application is disposed of at this stage with liberty to the applicant to move a fresh application, if the order is not complied with by the opposite party within the stipulated time as aforementioned.

Order Date :- 23.5.2019

A.K.Srivastava

उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी सूचनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित स्पेशल अपील सं.386/19 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2019 एवं श्री निगमेश्वर पाण्डेय द्वारा योजित अवमानना याचिका सं.3325/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 के सातत्य में माननीय कुलपति महोदय के आदेश से माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह, लखनऊ से अधोलिखित विधिक राय प्राप्त की-

Justice D.P. Singh
Former Judge Allahabad High Court
Chairman, Justice CP Review
and Human Resources Management Committee
Commissioner General, Bar Council of India
Kashmere Gate, New Delhi-110009
Email: dpsingh@rediffmail.com




Supreme Court of India
Delhi - 110001
Fax No. 011-23386500
E-mail: supremecourtindia@nic.in

Ref. No.

Dated: July 16, 2019

The Vice Chancellor,
Sri Guru Nanak Dev University,
Mohali-167062



Dear Sir,

I have received the notice dated 30.04.2019 issued by the Division Bench of Mohali Appellate High Court in Criminal Appeal Reference No. 1166 of 2019 in re. Sri Gurukul Singh, respondent-appellant and another versus State of H.P. and another. The salient features of its nature are reproduced under:

Order No. 44
Cases: 30/2019 and 1166 of 2019

Appellant: Gurukul Singh, respondent-appellant and another
Respondent(s) to be heard: H.P. and another
Counsel for Appellant: Mr. Deepak Bhambhani
Counsel for Respondent: S.C. Shashi Kant Dubeet

Non-Disclosure Agreed.
Hon'ble Jt. Ld. Justice Ranjeet Kaur

(i) With the consent of appellant counsel for parties we proceed to hear and decide the appeal finally at the stage under the rules of the court.

(ii) Heard by Mr. Deepak Bhambhani, learned counsel for the appellants, Mr. Shashi Kant Dubeet, learned counsel for respondent & learned Scrutinizing Counsel for respondents & recorded the consent.

(iii) This inter-court appeal under Chapter V, Rule 5 of *Abulabab Sayaji Rao Rules, 1961* (hereinafter referred to as "Rules, 1961") has

been

originally instituted dated 20.04.2018 by learned Single Judge in Writ Petition No. 22832 of 2008 whereby learned Single Judge has allowed writ petition of petitioner-appellant 2 namely Bhagwant Singh with the following directions:

"a. In the light of the materials in the preceding paragraphs
(i) The claim of the petitioner for being unqualified/unsatisfactory in the respondent university>equals a sanctioned post is lawful and valid.
(ii) The petitioner is directly admitted to the four subjects who were allotted by order dated 7.2.2008.
(iii) The sentence is found to be confined to be unqualified/unsatisfactory to the respondent university from the date of the admission of the four subjects who was admitted against the regular sanctioned posts by letter dated 21.2.2008."

b. Learned counsel for appellants conceded that as the claim of regularization of others, petitioner respondent 2 was not in service and had already left the institution but when asked the date on which according to petitioner previous he had left the institution neither any date could be informed to the Court nor there is any proceeding to this effect except a single application that petitioner respondent has left the institution, therefore, he was not considered for regularization. He also conceded that with regard to his own application he discharged his duties and also consented to regularization's committee that he has left the institution, despite this the reply has been sent and said there is no provision otherwise for the committee affidavit (not before learned Single Judge can claim to appear before this Court).

c. In these facts and circumstances, we are clearly of the view that petitioner respondent 2 has been rejected and treated in a discriminatory manner, hence learned Single Judge has rightly allowed writ petition and we find no fault in the judgment passed by learned Single Judge following writ petition.

d. Appeal, therefore, lies itself dismissed.

Order Dated: 30.04.2019



From a perusal of the aforesaid order passed by the Hon'ble Court, particularly para 4, it is evident that the named concerned applicant for the University had not brought to the notice of the Hon'ble Court the correct factual position, nor did he invite the attention of the Court to the propositions of law indicated in the memo of appeal. All details ought not only to have been disclosed in the memo of appeal, but also attention of the Hon'ble Court should have been invited to these facts. I could not find any appointment letter having been issued to the petitioner/memo advertisement having been made, nullifying applications for making appointment against a sanctioned post. In case no appointment letter was issued and no advertisement had been made to fill up the vacancy in question and also there was no sanctioned post, all those factual positions must have been pleaded and brought on record by the claimant for the University in the High Court. It appears that the office of the University has been failed to bring on record the foundation of the matter in the form of pleadings in the writ petition or in the special appeal filed before the High Court in accordance to service law. The decision taken by the Executive Council or any officer, whomever he may be, for continuity of service in an arbitrary manner, collusively to extend benefit to the petitioner for extraneous or unforeseen reasons does not validate the appointment made in violation of service law. mere payment of salary without foundation and appointment in accordance to rules does not confer any right on the petitioner to continue in service. The case law cited in the memo of special appeal as well as in the report of Shri Kapil Das, Senior Advocate as well as in my earlier opinion must have been brought on record.

While deciding number of cases as Judge of Allahabad High Court, I myself have held that any appointment made in violation of the rules, that too, in the absence of sanctioned post, shall not confer any right on the incumbent to claim regularization. (vide Writ Petition No. 4725(S/S) 2005, Suraj Singh versus State of UP, decided in February 2007 and Writ Petition No. 8001 (S/S) of 2006, Sudarshan Singh versus State of UP, decided on 13.Oct.2007.)

In my view, it is a fit case where review should be filed engaging some Senior Advocate of the High Court, to come forward with the case of fraudulent act behind the unapplied appointment/engagement and continuation of service as fraud violates even a solemn act and can be challenged at any time. Simultaneously, if the University pleases, an SLP may also be filed in the Hon'ble Supreme Court.


Dear Vice Chancellor, this is a sorry state of affair in the matter of recruitment and payment of salary when everything has been done in contravention of the rules, without making advertisement of the vacancy, undergoing the process of selection, applying reservation rules and following due course of law.

Kindly engage some senior lawyer of High Court for filing review in the High Court and a prominent counsel for filing SLP in the Apex Court, and discuss the matter with such counsel before proceeding ahead and taking a final decision in the matter.

Thanking you,

With kind regards,

Yours sincerely,


(Justice A.P. Singh)

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह के द्वारा प्रस्तुत विधिक राय के क्रम में पुनः श्री लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिकर्ता, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा उक्त प्रकरण पर विश्वविद्यालय ने अधोलिखित विधिक राय प्राप्त की।

Klausen-Isidor Tarkovsky
Schriftsteller
Geb. 1932, gebürtig Anatoli Wladimirowitsch Tarkovsky
Lebt in Berlin, Deutschland
E-Mail: klausen-isidor.tarkovsky@t-online.de
Webseite: www.klausen-isidor-tarkovsky.de



Extract 28.07.2019

2-3543. OPINION

**The Secretary, Government of India,
Ministry of Environment, Forests and
Climate Change, Vaishnavi Bhawan, Varanasi-221002.**

References *Journal of Optometry for Competency Development and Practice*, Volume 2 Number 2, October 2009 presented by Dr. T. S. H. Nilay, NWU, Pretoria, (An) Vol. 2 No. 2, 2009; *Biographical Database*, No. 1, State of NJ, 2009, which defines itself as an electronic database of most notable students, M.D., 2009, presented by *Suresh and Nagendra, Society of Benefactors*, *Vol. 1, No. 1, 2012*; *Scopus* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), and *Google Scholar*, Vol. 1, Article 1, 2012, and *Scopus* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

145-Sub 125448 Rev 1

The present analysis extends from 01-07-2019, up to the beginning of the first year of the period of 16 months of comparison or implementation of the instrument adopted (18-09-2019) pursuant to Article 16(1) of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on прогностичні показники. The Ministry of State of Ukraine and others, and also the prospect of its application until October 2020. The analysis covers 11 types of Appendix B of the Decree of 29-06-1996 of 2019. Moreover, several Sections 1, Sections 2, Sections 3, Sections 4, and another Section 5 of the Act and another, the legal opinion on the aforementioned sections issued by the authorized person.

These events, although the difference of just one date, caused considerable trouble for the French, largely helping to delay and even postpone much of the British offensive. However, given the general weakness of the French army, Napoleon decided to concentrate his efforts on the British, capturing the British at the Battle of Waterloo.

The effects of automation of the above nodal functions and analysis places heavy reliance on own remedies available to the Treasury given the inherent difficulties.

ACKNOWLEDGMENT This paper was prepared by the U.S. Army Corps of Engineers, Seattle District, Seattle, Washington, and is based on information available at the time of preparation.



$\nabla f(t_1, t_2, \dots, t_n)$

Laxmi Kant Tripathi

EX-MLA
Chairman, Laxmi Kant Tripathi Hall
The Gurukul Colony
Bhopal - 462 001, Madhya Pradesh



Attachment

As per my thorough the memorandum presented and the facts of the case of the other ex-members of various and prominent parties in our state, there is nothing in the knowledge of the University of the subjects involved in the same issue being contested by the University, and other relevant documents would not be produced by the University when the matter of the University's survey is passed. There is no other argument or the basis of second time survey of the system of the Gurukul Colony of Bhopal. Appendix 1 is an annexure of documents given in the order passed by the University concerning the question of how certain members might be long despite could not be considered under the inspection survey. As such, in my considered opinion that there is no scope for inspection survey in lifting the previous order issued before the University to inspect the Gurukul and other areas which are passed by High Court Appeal.

Please note on the new survey or inspection or inspection survey, the SLP before the Supreme Court concerned the judgment and order of the Gurukul Colony, Bhopal, Mr. Justice and the Honourable Justice Jagdish Prasad regarding the judgment of the Gurukul Simple Bridge Committee, a finding of fact is the effectually the Gurukul has already discriminated the Gurukul Colony, the Gurukul persons working in the University, who were also working in the University and they were regularized on their post, provided the knowledge of the employees named in Bhopal Bazaar, owner of Gurukul, a citizen being a member of the students, but while the path to a small market, the security not been through Mr. Suresh Kumar Joshi, teacher was assessed in the Gurukul University, the claim of the Gurukul Gurukul was rejected by the University which was held valid by all of the Constitution of India, as it was observed by the Honorable Jagdish Prasad and also by the Honourable Justice Jagdish Prasad, he said that even if anyone that is to the University could not be able to give the date to solve the problem in the Gurukul, so that can be decided by the Supreme Court.

Laxmi Kant Tripathi

EX-MLA
Chairman, Laxmi Kant Tripathi Hall
The Gurukul Colony
Bhopal - 462 001, Madhya Pradesh



Attachment

With this reason the inspection of the University could not be done related with the Gurukul Colony.

Moreover, since 197 under dated 07.07.2006, the term permanent deans were in the University and regularized their posts in accordance with the rules, the Hon'ble Vice Chancellor concerned authority to do so from the Head Inst. of candidates recommended for acceptance of their name, department and designation, as far as otherwise no objection from them. This procedure has been followed in several universities across the country.

As such, in my opinion there is no basis of survey before the Supreme Court to file the SLP by the University. The usual opinion is that it is illegal.

Yours faithfully,
(LAXMI KANT TRIPATHI) लक्ष्मी कन्त ट्रिपाठी
High Court Advocate
C. Lawyer No. 1892, Bhopal
Mobile No. 9336000112

सम्बन्धित प्रकरण एवं उपर्युक्त विधिक राय को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.08.2019 में प्रस्तुत की गयी।

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी ने उपर्युक्त विधिक राय के परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद् के सदस्यों ने गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि- 'सम्बन्धित प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये गये विधिक राय के सातत्य में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन से शीघ्रताशीघ्र दिशा-निर्देश प्राप्त किये जायें।'


उक्त क्रम में अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं. 22831/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 स्पेशल अपील सं.386/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2019 एवं श्री निगमेश्वर पाण्डेय द्वारा योजित अवमानना याचिका सं. 3325/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 के सातत्य में प्राप्त विधिक राय के क्रम में दिशा-निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक-

- 1- मा. न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह की विधिक राय, दिनांक 14.07.2019।
- 2- श्री लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता की विधिक राय दिनांक 29.07.2019।

भवदीय,
कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित किये गये उपर्युक्त पत्र के क्रम में शासन द्वारा प्रकरण के संदर्भ में अधोलिखित आख्या विश्वविद्यालय से मांगी गयी-



शासन के उपर्युक्त पृच्छा के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा शासन को अधोलिखित आख्या दिनांक 14.09.2019 प्रेषित की गयी।

सेवा में,

उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
लखनऊ।

विषय:-रिट याचिका-22831/2008 निगमेश्वर पाण्डेय बनाम राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2018 के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1588/सत्तर-4-2019-1850/2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

पत्र द्वारा मांगी गयी सूचना के सन्दर्भ में अधोलिखित तथ्य सूचनीय है -

1. वर्तमान में विश्वविद्यालय में कनिष्ठ सहायक वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 का पद रिक्त है।

2. रिट याचिका संख्या-22831/2008 निगमेश्वर पाण्डेय बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2018 व उसके विरुद्ध योजित की गयी विशेष अपील सं.386/2019 खारिज हो जाने के कारण तथा मा० न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्राप्त विधिक राय के आलोक में याची को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त होना प्रतीत होता है।
3. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.12.2005 में पारित निर्णय के सातत्य में प्रमाण-पत्र लेखन कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों के समायोजन पर विचार करने एवं अपनी संस्तुति प्रदान करने के लिए एक बैठक दिनांक 02.04.2006 को आयोजित की गयी जिसे निम्न सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो० सुभाष चन्द्र विपाठी	-	अध्यक्ष
2. प्रो० राजीव रंजन सिंह -	-	सदस्य
3. श्री विद्याधर विपाठी	-	कुलसचिव-सदस्य
4. श्रीमती गीतिकानासुर	-	वित्त अधिकारी-सदस्य

समिति तथ्यों पर विचार करने के अनन्तर स्थिति स्पष्ट करते हुए संस्तुति की कि - मात्र 04 व्यक्ति 1-श्री प्रदीप कुमार पाठक, 2-श्री सुशील कुमार तिवारी 3-श्री मनोज कुमार द्विवेदी, 4- श्री संजय कुमार तिवारी कार्य कर रहे हैं।

समिति उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सभी शासनादेशों आदि का अध्ययन करने के उपरान्त इस विष्कर्ष पर पहुँची है कि इनकी नियुक्ति तृपीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है, भुगातान विश्वविद्यालय द्वारा चाहे जिस भी मद से किया गया हो। ये कर्मचारी 1992 से विश्वविद्यालय की सेवा करते आ रहे हैं तथा समायोजन की आशा में अन्यत्र कही गये भी नहीं। इन कर्मचारियों का समायोजन प्रारम्भ में हो जाना चाहिए था। जो शासन द्वारा विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण के अभाव में नहीं हो सका। विश्वविद्यालय द्वारा समायोजन कर लिये जाने पर मुकदमें आदि व्यय से भी विश्वविद्यालय को मुक्ति मिलेगी।

अतः समिति प्रबल रूप से इन प्रमाण-पत्र लेखकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर उपलब्ध स्थानों पर तथा भविष्य की रिक्तियों में क्रमशः समायोजन की संस्तुति करती है।

समायोजन समिति की उपर्युक्त संस्तुति के सातत्य में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने पत्र संख्या-वी.सी.1187/200/2007, दिनांक 20.08.2007 द्वारा शासन को पत्र प्रेषित करते हुए उपर्युक्त चार कर्मियों के समायोजन हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

कुलपति महोदय के उपर्युक्त पत्र के सातत्य में शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2366/सतर-4-2007-5(7)97 दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र लेखन कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में निर्देश दिया कि -

शासनादेश संख्या-1297/70-4/98-46(28)/95 दिनांक 2 मई, 1998 के अनुरूप में विश्वविद्यालय के प्रमाण-पत्र लेखन कर्मचारियों का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-428(1)/70-4-98-46(28)95, दिनांक 4 अप्रैल, 1998 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

शासन द्वारा प्राप्त उक्त शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में समायोजन समिति दिनांक 29.10.2007 की बैठक में लिये गये निर्णय के सातत्य में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31.10.2007 में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में चार कर्मी का समायोजन किया गया।

4. समायोजन समिति की संस्तुति के सातत्य में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने पत्र संख्या-वी.सी.1187/200/2007, दिनांक 20.08.2007 द्वारा शासन को पत्र प्रेषित करते हुए उपर्युक्त चार कर्मियों के समायोजन हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

कुलपति महोदय के उपर्युक्त पत्र के सातत्य में शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2366/सतर-4-2007-5(7)97 दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र लेखन कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में निर्देश दिया कि -

शासनादेश संख्या-1297/70-4/98-46(28)/95 दिनांक 2 मई, 1998 के अनुरूप में विश्वविद्यालय के प्रमाण-पत्र लेखन कर्मचारियों का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-428(1)/70-4-98-46(28)95, दिनांक 4 अप्रैल, 1998 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

शासन द्वारा प्राप्त उक्त शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में समायोजन समिति दिनांक 29.10.2007 की बैठक में लिये गये निर्णय के सातत्य में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31.10.2007 में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में चार कर्मी का समायोजन किया गया।

उक्त के क्रम में शासन को यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं.22831/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 स्पेशल अपील सं.386/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2019 एवं श्री निगमेश्वर पाण्डेय द्वारा योजित अवमानना याचिका सं.3325/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 के सातत्य में प्राप्त विधिक राय के क्रम में प्रकरण पर विचार हेतु विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को आहूत की गयी है।

भवदीय,

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

कार्यपरिषद् को कुलसचिव ने यह भी अवगत कराया कि सम्बन्धित प्रकरण पर दिनांक 16.09.2019 को उन्हें भी शासन में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था और वे बैठक में उपस्थित हुए। तथा शासन को प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्यों से अवगत कराया। जिस पर विशेष सचिव न्याय ने उपरिलिखित चार बिन्दुओं पर प्रचंडा की उन्होंने यह भी पूछा कि पूर्व में चार कर्मचारियों को नियम के विरुद्ध कैसे समायोजित कर दिया गया। जिसके प्रत्युत्तर में कुलसचिव द्वारा समायोजन समिति की आख्या व तत्कालीन कुलपति द्वारा प्रेषित पत्र तथा शासन के पत्र व कार्यपरिषद् की कार्यवाही के विषय में जानकारी प्रदान की, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।

कार्यपरिषद् उपर्युक्त समस्त तथ्यों से अवगत होते हुए सर्वसम्मति से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं.22831/2008 निगमेश्वर पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2018 के अनुपालन में श्री निगमेश्वर पाण्डेय को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक पद पर समायोजन/नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम सं. -4- उत्तर-प्रदेश शासन के शासनादेश सं. 633/सत्तर-1-2019-16(87)/2018, दिनांक 26 अगस्त, 2019 के द्वारा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियमित चयन की प्रक्रिया के निर्धारण के संदर्भ में प्राप्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय परिनियम 11.15 में संशोधन पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष अधोलिखित शासनादेश संख्या-633/सत्तर-1-2019-16(87)/2018, दिनांक 26 अगस्त, 2019 प्रस्तुत की गयी -

प्राप्ति- ६३३ / लकड़ । -२०१५-१६(८७) / २०१५

४८५

आरटी रमेश। यशनार

३०४

असाध्य अद्वितीय शास्त्रान् ।

સ્વરામ દી

लखनऊ के दिनांक 22.6.अगस्त, 2019
 राज्यपाल विधवालय, चारापाली से सम्बन्ध असारकर्मि सहायता प्राप्त
 संवेदन महानिधालयी के प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियमित रूप से प्रतीक्षा का
 दिनांक।

जलसुरक्षा शिक्षा को उन्नयन, विकास एवं संरक्षण शिक्षकों की शमख्याओं के क्रियाकरण हेतु जलपूर्णिमा राजसुरक्षा विद्यालय, पारापाटी की परिस्थितिमाली में आपस्यक सशोधन ऊर्जा की रायभूमि में जलसुरक्षा शिक्षा-3875 / राजा ८-२-२०११ १६(३५) / ७८ नं. प्र० द्वारा २० जिल्हापाल, २०११ शिक्षा विभाग द्वारा उन्नत जागरूकाधीश शिक्षांक २०.१२.२०११ में असामसूचीय सामाजिक जलसुरक्षा विद्यालयसंघ की शिक्षकों के चरण यीं कीर्त्याती छत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड शिक्षा एवा चरण अधिकार द्वारा किये जाने जल्दी हैं।

२- उत्तर संविधान सभा विभाग की अल्लेखन है। उत्तर संविधान सभा विभाग की परिस्थितियाँ यहाँ राजनीति की राजनीति के लाईयाल लोगोंसे बदल देती हैं। उत्तर प्रदेश की परिस्थिति इ-१००४१/८ लोगोंसे २००१ दिनोंके २८-१२-२०११ के प्रदर्शन के में परिस्थिति बदल दी- ११.१५ “आवायाएँ यह उद्यग व विभिन्नता” वे बनाएँ यह उद्योग है कि “उत्तर प्रदेश लक्ष्यर विभाग जैव आवाय विभिन्नता, १९८०” एवं उसके अधीन बनाएँ गए विभिन्नों एवं विभिन्नों आदि के उपायनों के लाभीन (उत्तर प्रदेश विभाग सम्बन्धित विभिन्नों की विवरी में) रहते हुये साक्षात् सम्बन्धितात्मक परिस्थिति विभिन्नता यह विभाग और अद्यायाएँ के राज्य सरकार द्वारा अनुभूतित पर्दी पर गृहीकृतिक आधार पर विभिन्नता राज्य सरकार या संघ सेवा या राज्यानीय विभाग या राज्यानीय प्रशासिकारी द्वारा अनुभूतित दिलायान में उत्तरसंवित्त विभिन्न ही विभिन्न करते हैं। परन्तु वही की रखीमूली एवं वैभवतावाह अनुभाव उपरी तथा विभिन्नतावाही में विहित उपराज्यों लाभ उठती। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जैव आवाय विभिन्नता, १९८० एवं सारक्षके बनाएँ गए नियमों/विभिन्नों में जगत् एवं विभिन्न से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं वीटे विहित की गयी है।

७. रामपुराण-न रामचूटा प्रियविष्णवालाय, वाराणसी के परिनियमों में रामावत के रामचन्द्र के जाले विशेषज्ञपाल संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के वत वाल्ला-ई-१००४१/६-जी०एन०३/२००२ दिनांक २५.१२.२०११ के प्रस्ताव उ में परिनियम राम्या-१११५ “अद्वायका का चयन ग निर्णय” वा वाक्यांश “परम्परा की स्थीरता एवं व्याख्यान अनुभव होने तक परिनियमवाली में शिष्टेन्द्र व्यवस्था लाभ देंगी” गो उत्तर प्रदेश राज्य प्रियविष्णवालय अधिनियम, १९७३ की भारा ०० की उपलब्धता ६ के अन्तर्गत राज्य सलाहकार को प्रदत्त शक्तियों वा प्रयोग करते हुए “सम्पुर्णनिष्ठ रामचूटा प्रियविष्णवालय, वाराणसी से रामचन्द्रा धर्म संस्कृत महाविष्णवालयों के शिष्टकर्ता एवं व्याख्याता

ये विवरण सबूत की कार्यवाही 'उत्तर प्रदेश उन्नतप्रगति बोर्ड द्वारा आयोग अधिकारीयम्, 1980' में विविध प्रक्रियाओं के अन्तर्गत वाचायों वाचाओंसे' दी गयी विवरणित विवेद वाचों का विलोप्त देखा गया है।

४० अस्त्रासुखाद भवन की प्रतिष्ठित तथा शिरोरेण लिपो जाने के सावधानतम् वस्त्रपूर्णाद्य वस्त्राद् विश्वलिपित्वात्। वाचागामी ने स्वाक्षरता प्राप्त वस्त्राद् वस्त्रतम् एव रक्षासक्तवस्त्राद् वस्त्राशिरोलालयो वै वस्त्रान् द्वारा सुभूति लिपे पर्यं प्राचीवार्यो एव अव्याप्तिर्वार्यो नै लिपत वस्त्रो नै वस्त्रेषु ज्ञाने लिपिविश्वाद् वस्त्राद् विश्वाद्। इस्त्राद् विश्वा लिपा ज्ञाने लाग्याम, भवागामाद्। वस्त्रा यसी वस्त्रावार्यो नैव द्वारा वस्त्रावार्य एव वस्त्रावार्य-वस्त्रावार्य द्वारा वेतन द्वारा अनुभवाद् लिप्या। अस्त्रा भवति वस्त्रान् ते वस्त्राद् विश्वाद् विश्वाद् एव वाचावार्यो के वेतनावार्य एव वस्त्रावार्य मैं, युग्मि द्वारा विश्वाद् युग्मि विश्वाद् विश्वाद् एव वेतनावार्य मैं वस्त्रावीप्याद् विश्वाद् एव वस्त्रावार्य मैं, अस्त्र द्वारा विश्वाद्। यसी वस्त्रावार्यो नै वौद्वारा वास्त्रावार्य नहीं होय। अस्त्रि द्वेषी वस्त्रो ज्ञाने लिपत द्वारा वस्त्रावार्य ज्ञाने यसी वस्त्रावार्यो वस्त्रावार्य विश्वाद् विश्वा संवा वाचावार्य अविश्वाद्, वस्त्रा नै वस्त्रावार्यो वस्त्रावार्य वस्त्रावार्य विश्वाद् विश्वा वै ज्ञाने द्वारा वस्त्रावार्य नै लाग्य हो॥

(ଆମ୍ବଦୀ ପରିଷଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ)

(1) अन्यथा १. २०१७ कार्यविवरण
मन्त्रिसभि निवारितिवित्त वो असन्मानी एवं आवाहनक बहुमताची उम्मीदेव
अन्यायालीम् प्राप्तिकर, उल्लंघनप्रदेश।
(2) प्रमुख राष्ट्रीय सांसदीयक लिखा विषय उल्लंघनप्रदेश जारीन।
(3) निवारित, उच्च लिखा विषय, उल्लंघनप्रदेश, संसाधनाल।
(4) कृष्णराम्प्रिय रामचन्द्रनन्द संस्कृत विद्याविद्यालय, आराधनाली।
(5) वर्षान्त विद्याविद्यालय (विद्यालय उल्लंघनप्रदेश।
(6) वर्षान्त उल्लंघनप्रदेश, उच्चकृत लिखा विद्याविद्यालय।
(7) उप विद्येश्वर (कोट्टेकल), लिखा विद्याविद्यालय, संसाधनाल।
(8) वर्षान्त, उच्चकृत लिखा विद्याविद्यालय, उल्लंघनप्रदेश, अध्याराराम।
(9) अन्यथा / सांसदीय संस्कृत विद्यालय / संस्कृतकौशल संस्कृत साहाविद्यालय, उल्लंघनप्रदेश।
(10) उच्चकृत लिखा विद्याविद्यालय, उल्लंघनप्रदेश जारीन।
(11) गोपनीय।

(कल्पित विद्यार्थी) ।

उपर्युक्त शासनादेश पर गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने अधोलिखित संकल्प पारित किया-

“उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-50 , उपधारा-6 में वर्णित व्यवस्थानुसार कार्यपरिषद् अनुभव करती है कि प्रस्तावित व्यवस्था परिवर्तन से सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में या अध्यापकों, छात्रों या अन्य कर्मचारी वर्ग के लिये कोई लाभ नहीं होगा।

अतः “कार्यपरिषद् उक्त परिनियम संशोधन पर पुनर्विचार करने के लिए शासन से अनरोध की संस्तति करती है।”

कार्यक्रम सं.-5- माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा दिये निर्देश के अनुपालन में जनसूचना अधिनियम के अंतर्गत श्री सोमेश तिवारी को पाण्डुलिपि की छायाप्रति प्राप्त कराये जाने के संदर्भ में विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर-प्रदेश के अधोलिखित आदेश दिनांक 25.07.2019 प्रस्तुत किया गया-

01-1000-1000-0000-corresponds-to-standard-magnification-when-focal-length-is-set-at-100mm

विनाश करने वाली रक्षा, एवं विनाश करने वाली रक्षा की दोनों

and species-specific phylogenetic patterns of variation in allelic diversity at the *adonis* locus. The *adonis* allele frequency distributions were similar across all three study sites, and the same major allele was dominant at all three locations, with minor alleles being present at low frequencies. The distribution of *adonis* genotypes was highly variable among the three study sites, with the highest proportion of heterozygotes occurring at the *adonis* study site (Table 2). The proportion of heterozygotes was significantly higher than expected under Hardy-Weinberg equilibrium at the *adonis* study site ($P < 0.001$, $\chi^2 = 10.87$, d.f. = 1), suggesting significant differentiation between the *adonis* allele frequencies at the *adonis* and *adonis*-like study sites. The proportion of heterozygotes was significantly lower than expected under Hardy-Weinberg equilibrium at the *adonis*-like study site ($P < 0.001$, $\chi^2 = 10.87$, d.f. = 1), suggesting significant differentiation between the *adonis* allele frequencies at the *adonis* and *adonis*-like study sites. The proportion of heterozygotes was significantly lower than expected under Hardy-Weinberg equilibrium at the *adonis*-like study site ($P < 0.001$, $\chi^2 = 10.87$, d.f. = 1), suggesting significant differentiation between the *adonis* allele frequencies at the *adonis* and *adonis*-like study sites. The proportion of heterozygotes was significantly lower than expected under Hardy-Weinberg equilibrium at the *adonis*-like study site ($P < 0.001$, $\chi^2 = 10.87$, d.f. = 1), suggesting significant differentiation between the *adonis* allele frequencies at the *adonis* and *adonis*-like study sites.

Praktisch alle großen und mittleren Städte sind mit dem Bahnnetz verbunden. Die Eisenbahnlinien sind in der Regel zweigleisig, so dass die Fahrtzeit von einer Station zur nächsten nicht länger als eine halbe Stunde dauert. Die Bahn ist eine wichtige Verkehrsart in Russland, da sie eine kostengünstige und schnelle Art der Transport ist.

The author is grateful to the Department of Civil and the Aeronautical Engineering Departments of the University of Poona for their permission to publish this paper.

Received 20 August 1996; accepted 20 March 1997. This paper is part of the *Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry*, Vol. 35, No. 10, pp. 2679–2686, 1997. © 1997 John Wiley & Sons, Inc.

Measurement of 90% survival rate revealed that the higher the mean plasma level of a compound, the higher the percentage of animals surviving after 90 days of treatment. Thus, it appears that the survival rate of animals treated with different concentrations of the test compound is directly proportional to the mean survival percentage observed against the control group (Table 2). The percentages of survival against the control group were 90.75% for streptomycin, 93.75% for amikacin, 95.0% for kanamycin, 95.0% for gentamicin, 95.0% for ciprofloxacin, 95.0% for kanamycin plus streptomycin, 95.0% for kanamycin plus amikacin, 95.0% for kanamycin plus gentamicin, and 95.0% for amikacin plus streptomycin.

Problems with the design of the system are addressed by developing a more aggressive allocation of memory blocks. This can be done by using a more aggressive allocation scheme, such as a first-fit or best-fit algorithm, which will result in a more efficient use of memory space.

conducting criminal investigation and/or in the course of the investigation, requires law enforcement agencies to obtain and record all such information in their system. The system must also be capable of being open ended in order to allow the system to accommodate the needs of the investigation, operation or function of the system and to support and support adequately the ability of the organization and those whom it serves to meet its goals.

The information system must be capable of effectively storing, retrieving, analyzing and reporting the information that the system collects during the investigation. It must also have the ability to effectively analyze and report the information collected by the system, capable of supporting and supporting the system's function in the investigation, operation or function of the system and to support and support the system's ability to meet its goals.

The purpose of the system function will be to obtain the appropriate information of citizens and to assist them in the collection of information from citizens. This function will be to collect information and evidence and to analyze the information. All system functions will be to collect information and evidence and to analyze the information and evidence and to support and support the system's function in the investigation, operation or function of the system and to support and support the system's ability to meet its goals. The system will be to collect information and evidence and to analyze the information and evidence and to support and support the system's function in the investigation, operation or function of the system and to support and support the system's ability to meet its goals.

The system will be to collect information and evidence and to analyze the information and evidence and to support and support the system's function in the investigation, operation or function of the system and to support and support the system's ability to meet its goals.

The system will be to collect information and evidence and to analyze the information and evidence and to support and support the system's function in the investigation, operation or function of the system and to support and support the system's ability to meet its goals.

Information will be collected and analyzed.

Information will be collected and analyzed. The system will be to collect information and evidence and to analyze the information and evidence and to support and support the system's function in the investigation, operation or function of the system and to support and support the system's ability to meet its goals.

Information will be collected and analyzed. The system will be to collect information and evidence and to analyze the information and evidence and to support and support the system's function in the investigation, operation or function of the system and to support and support the system's ability to meet its goals.

Information will be collected and analyzed. The system will be to collect information and evidence and to analyze the information and evidence and to support and support the system's function in the investigation, operation or function of the system and to support and support the system's ability to meet its goals.

Information will be collected and analyzed. The system will be to collect information and evidence and to analyze the information and evidence and to support and support the system's function in the investigation, operation or function of the system and to support and support the system's ability to meet its goals.

Information will be collected and analyzed. The system will be to collect information and evidence and to analyze the information and evidence and to support and support the system's function in the investigation, operation or function of the system and to support and support the system's ability to meet its goals.

Information will be collected and analyzed. The system will be to collect information and evidence and to analyze the information and evidence and to support and support the system's function in the investigation, operation or function of the system and to support and support the system's ability to meet its goals.

माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर-प्रदेश के उपर्युक्त आदेश पर कार्यपरिषद् ने गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् सर्वसम्मति से अधोलिखित संकल्प पारित किया।

‘कार्यपरिषद् अपने पूर्व निर्णय दिनांक 19.12.2005, दिनांक 06.08.2017, 27.03.2018 एवं 27.06.2018 पर दृढ़ हैं तथा श्री सोमेश तिवारी द्वारा कार्यपरिषद्, कुलपति एवं कुलसचिव के प्रति की गयी असंसदीय एवं अमर्यादित टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त किया।

कार्यक्रम सं. -6- मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसा

सम्बद्धता समिति/मान्यता समिति

दिनांक 18-09-2019

स्थान- कुलपति कार्यालय

समय-अपराह्ण 3:00 बजे

- 1- प्रो० राजाराम शुक्ल
- 2- प्रो० रामपूजन पाण्डेय
- 3- कुलसचिव

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य सचिव

1- कार्यक्रम संख्या- 1 निरीक्षण मण्डल की संस्तुतियों पर विचार।

1- विमला देवी संस्कृत महाविद्यालय सराय पड़री, शंकरगंज, जौनपुर।

विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 19-05-2018 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 3000 वर्गफुट लीज डीड संलग्न है, आफिस सहित 5 कक्ष हैं एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं। अतः उपर्युक्त के आलोक में महाविद्यालय को नयी मान्यता शास्त्री-व्याकरण, साहित्य विषय की मान्यता हेतु संस्तुति की जाती है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सम्बद्धता समिति संस्तुति कि कि महाविद्यालय के पास अपेक्षित भूमि एवं भवन न होने के कारण महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदत्त न की जाय।

2- माँ शारदा संस्कृत महाविद्यालय सराय त्रिलोचन, पो०बाँसगाँव, आजमगढ़।

विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 04-09-2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1701 वर्गमीटर, कक्ष 6 निर्मित 20×25 , हाल 1- 30×35 , क्रीड़ाप्रांगण है। पुस्तकालय उपलब्ध है एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं। अतः उक्त के आलोक में व्याकरण एवं साहित्य शास्त्री मान्यता हेतु संस्तुति की जाती है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सम्बद्धता समिति संस्तुति कि कि महाविद्यालय के पास अपेक्षित भूमि एवं भवन न होने के कारण महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदत्त न की जाय।

3- नीलकंठ कॉलेज आँफ एज्युकेशन, रेहटी, त्रिलोचन, जौनपुर।

विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 20-10-2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.380 हेक्टेयर(40902.86 वर्गफुट), कक्ष

१० - अपार्वा, अपार्वना, अपार्वी, अपार्वीना, अपार्वीनी, अपार्वीनीना, अपार्वीनीनी, अपार्वीनीनीना, अपार्वीनीनीनी, अपार्वीनीनीनीना

क्षमतावाली के अनुसार उपर्युक्त विधि का अनुपयोग किया जाए। इसके अनुसार विद्युत ऊर्जा की विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली ऊर्जा की विभिन्न विधियों का अनुपयोग किया जाए। इसके अनुसार विद्युत ऊर्जा की विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली ऊर्जा की विभिन्न विधियों का अनुपयोग किया जाए। इसके अनुसार विद्युत ऊर्जा की विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली ऊर्जा की विभिन्न विधियों का अनुपयोग किया जाए।

Digitized by srujanika@gmail.com

काम करने वाली एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ यह है कि वह विषय का विवरण देने वाली विवरणीय विधि है। इसका उपयोग विवरणीय विधि का विवरण करने के लिए किया जाता है।

178

1000 METRES

6 - कंचन बालिका महाविद्यालय, बंधुवा बाजार, नरवाँ, जौनपुर।

विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 13-11-2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.204 हेक्टेयर(21958.38 वर्गफट), कक्ष 16, 15x19 3, कक्ष 12, 29x19, 01 हाल- है। पुस्तकालय उपलब्ध है एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं। अतः “ मान्यता हेतु प्रार्थित कंचन बालिका महाविद्यालय के पारा गानकानुसार भूमि भवन उपलब्ध है किन्तु भूमि-भवन आदि अभिलेखों में ‘संस्कृत’ शब्द उल्लिखित नहीं है। ऐसी स्थिति में समिति का यह अभिमत है कि महाविद्यालय की भूमि के अभिलेखों एवं भवन में (सर्सा के नाम में) कंचन संस्कृत महाविद्यालय अधीनत ‘संस्कृत’ शब्द को उल्लिखित कराये के प्रभान्त प्रस्तुत करने के अनन्तर ही उक्त महाविद्यालय को साहित्य, नव्यव्याकरण एवं प्राचीनव्याकरण विषयों के साथ शास्त्री कक्षा पर्याप्त की मान्यता प्रदान की जा सकेगी, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि महाविद्यालय को शास्त्री-साहित्य एवं व्याकरण की मान्यता इस शर्त पर स्वीकृत कि महाविद्यालय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें, कि कंचन बालिका महाविद्यालय बंधवा बाजार, बरावाँ, जौनपुर के नाम भूमि एवं भवन पर उक्त नाम का संस्कृत महाविद्यालय ही संचालित होगा तत्पश्चात मान्यता पत्र निर्मात किया जाय।

७ - पं. विश्वामित्रनाथ त्रिपाठी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मंडारिया, सिङ्गार्थनगर।

- ५० प्रवर्षनमनाथ प्रवाठा आदरा संस्कृत महाविद्यालय, नगररपा, सम्बद्धयनगर। विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संवर्धित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक ०४-१०-२०१७ कि महाविद्यालय के नाम भूमि ०.२४९८ हेक्टेयर (३११९३.८१ वर्गफुट), २२, कक्ष १०, २६.३×१९.६, ०३ हाल, ३३×३० वर्गफुट, पुस्तकालय उपलब्ध है एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं। अतः आवेदित महाविद्यालय को व्याकरण, साहित्य एवं पुराणेतिहास विषय में शास्त्री एवं आचार्य की मान्यता प्रदान करने की संस्तुति की जाए है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि महाविद्यालय को शास्त्री-साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की जाय।

४- बाबा धर्मदेव संस्कृत महाविद्यालय, काँदर, ध्रुवार्जन, गाजीपुर।

विचाराद्वयस्त्रृता यथाविद्यालय, बांदर, झुप्पजुन, नगारकुरु। विचाराद्वयस्त्रृता सम्बद्धता समिति ने संस्थित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 28-01-2018 कि महाविद्यालय के नाम भूमि ----- हेवटेयर, 09 कक्ष 20x25, 01 हाल, 40x25 वर्गफुट, पुस्तकालय उपलब्ध है एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं। अतः विश्वविद्यालय आदेश सं.जी.1026/2017 दिनांक 19-12-2019 द्वारा गठित निरीक्षक मण्डल ने विनांक 26-01-2018 को बाबा धर्मदेव संस्कृत महाविद्यालय काँदर, धुवार्जुन, नगारीपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरान्त कालेज द्वारा प्रवत्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त गठित पैनल द्वारा आख्या प्रस्तुत की जा रही है। आख्या प्रपत्र में बिन्दु संख्या 15 पर दी गई टिप्पणी विशेष रूप से विचारणीय है। कुल

संलग्नकों (सं.०९) परं कालेज में निर्मित कक्षों/भवनों के चित्रों के साथ रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि भूमि से सम्बन्धित मूल प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालय को निर्देश दिया कि कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करें, कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात प्रकरण अगली समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

9- विचारी कृष्ण विन्ध्याचल संस्कृत शिक्षण संस्थान, पहाड़पुर खुर्द, गाजीपुर।

विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक २८-१२-२०१७ कि महाविद्यालय के नाम भूमि ०६ कक्ष २०×२५ है एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं। अतः मूल चार बिन्दुओं के अभाव में मान्यता प्रदान करने की संस्तुति नहीं की जा सकती है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि महाविद्यालय के पास अपेक्षित भूमि एवं भवन न होने के कारण महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदत्त न की जाय।

10- पं. बेचन राम संस्कृत महाविद्यालय, घनश्यामपुर, राधास्वामी धाम(गोपीगंज), सन्तरविदासनगर, भद्रोही।

विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक १२-०९-२०१७ कि महाविद्यालय के नाम भूमि संस्था औपचारिकताएं पूर्ण हैं। अतः विश्वविद्यालय के आदेश संख्या १६७५/१७ दिनांक ०१-०८-२०१७ के अनुसार निरीक्षण दल को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध हैं एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं। अतः विश्वविद्यालय के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध हैं एवं फोटो २४ इसके साथ संलग्न हैं। जिला विद्यालय की आख्या अनुकूल है। सोसाइटी अधिनियम के अनुसार संस्था पंजीकृत है। भूमि और भवन महाविद्यालय के नाम से पंजीकृत नहीं है परन्तु बेचन राम सेवा संस्था नाम से पंजीकृत है। (पृष्ठ संख्या ४६ उपर्युक्त के आधार पर विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करें, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि महाविद्यालय को शास्त्री-साहित्य, पुराणोत्तिहास की मान्यता इस शर्त के साथ स्वीकृत कि महाविद्यालय एक माह के भीतर भूमि सम्बन्धी अभिलेख भूल रूप में कार्यालय में प्रस्तुत करें, मान्यता प्रमाण पत्र भूमि अभिलेख प्रस्तुत करने के बाद निर्गत किया जाय।

मान्यता का उच्चीकरण

1- श्री कृष्ण बह्याचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय, हाथरस।

विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक ०५-१०-

Page 4 of 5

2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि ०.४७७ हेक्टेयर(५१३४३.८५ वर्गफुट), कक्ष २५×२०, २०×१२, ०१ हाल ४०×२५ पुस्तकालय उपलब्ध हैं एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं। अतः दिनांक ०५-१०-२०१७ को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। यद्यपि प्राचीन महाविद्यालयों पर भूमि भवन का प्रतिबन्ध नहीं है तथापि महाविद्यालय हाथरस शहर में विशाल प्रांगण (मानक के दूने से अधिक) में स्थित है। महाविद्यालय का बातावरण अत्यन्त सुदम्य है। विद्यालय में ८ कक्षा कक्ष (मानकानुसार ७ आवश्यक), स्वतन्त्र पुस्तकालय कक्ष जिसमें २४ स्टील आलमारी में लगभग ६०००(छः हजार) पुस्तकें उचित रख रखाव के साथ हैं। दैनिक जागरण एवं अमर उजाला समाचार पत्र नियमित आता है। विद्यालय में प्राचार्य कक्ष, अध्यापक कक्ष एवं कार्यालय कक्ष, हाल स्वतन्त्र रूप से हैं। लगभग ३० छात्रों के रहने के लिए छात्रावास, अतिथि कक्ष जेनरेटर, कम्प्यूटर आदि सुलभ हैं। महाविद्यालय इतना समृद्ध भवन एवं पुस्तकालय कम स्थानों पर प्राप्त है। स्नातकोत्तर अध्यापन हेतु २ अध्यापकों की प्रबन्धक द्वारा नियुक्ति हो चुकी है।

सम्यक स्थिति के अवलोकनोपरान्त महाविद्यालय को साहित्य एवं व्याकरण विषय में आचार्य पर्यन्त मान्यता प्रदान करने की प्रवल संस्तुति की जाती है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि महाविद्यालय को आचार्य-साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की जाय।

कार्यक्रम संख्या-२ नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त करेन हेतु निरीक्षण मण्डल गठित करने के संदर्भ में विचार।

सम्बद्धता समिति ने विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि जिन नवीन आवेदन पत्रों की मानक के अनुसार प्रपत्र पूर्ण है उनके महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल गठित की जाय।

कार्यक्रम संख्या-३ भारत के बाहर के संस्कृत महाविद्यालयों को सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने पर विचार।

सम्बद्धता समिति ने विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा ५.२ “सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा तथा वहाँ के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुमति दे सकेगा।” के अनुसार भारत के बाहर के संस्कृत महाविद्यालयों को नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.477 हेक्टेयर(51343.85 वर्गफुट), 11 कक्ष 25×20, 20×12, 01 हाल 40×25 पुस्तकालय उपलब्ध हैं एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं। अतः दिनांक 05-10-2017 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। यदपि प्राचीन महाविद्यालयों पर भूमि भवन का प्रतिबन्ध नहीं है तथापि महाविद्यालय हाथरस शहर में विशाल प्रांगण (मानक के दूने से अधिक) में स्थित है। महाविद्यालय का वातावरण अत्यन्त सुदम्य है। विद्यालय में 8 कक्षा कक्ष (मानकानुसार 7 आवश्यक), स्वतन्त्र पुस्तकालय कक्ष जिसमें 24 स्टील आलमारी में लगभग 6000(छः हजार) पुस्तकें उचित रखे रखे के साथ हैं। दैनिक जागरण एवं अमर उजाला समाचार पत्र नियमित आता है। विद्यालय में प्राचार्य कक्ष, अध्यापक कक्ष एवं कार्यालय कक्ष, हाल स्वतन्त्र रूप से हैं। लगभग 30 छात्रों के रहने के लिए छात्रावास, अतिथि कक्ष जेनरेटर, कम्प्यूटर आदि सुलभ हैं। महाविद्यालय इतना सम्बद्ध भवन एवं पुस्तकालय कम स्थानों पर प्राप्त है। स्नातकोत्तर अध्यापकों की प्रबन्धक द्वारा नियुक्ति हो चुकी है।

सम्यक स्थिति के अवलोकनोपरान्त महाविद्यालय को साहित्य एवं व्याकरण विषय में आचार्य पर्यन्त मान्यता प्रदान करने की प्रवल संस्तुति की जाती है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि महाविद्यालय को आचार्य-साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की जाय।

क्रार्यक्रम संख्या-2 नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त करेन हेतु निरीक्षण मण्डल गठित करने के संदर्भ में विचार।

सम्बद्धता समिति ने विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि जिन नवीन आवेदन पत्रों की मानक के अनुसार प्रपत्र पूर्ण है उनके महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल गठित की जाय।

क्रार्यक्रम संख्या-3 भारत के बाहर के संस्कृत महाविद्यालयों को सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने पर विचार।

सम्बद्धता समिति ने विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 5.2 “सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा तथा वहाँ के अध्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुमति दे सकेगा।” के अनुसार भारत के बाहर के संस्कृत महाविद्यालयों को नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.09.2018 में की गयी संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इनसे इस आशय से शपथ पत्र प्राप्त कर लिये जाय कि वे महाविद्यालय की भूमि पर संस्कृत महाविद्यालय के संचालन के अतिरिक्त अन्य किसी गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे।

साथ ही सम्बद्धता समिति की संस्तुति के सातत्य में कार्यपरिषद् ने उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-5 की उपधारा-5 के क्रम में भारत के बाहर के संस्कृत महाविद्यालयों को नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार

1- कार्यपरिषद् को माननीय कुलपति महोदय ने सहर्ष अवगत कराया कि- विश्वविद्यालय ने दो अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल, महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट, मारीशस एवं सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के मध्य शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आपसी सहयोग तथा क्रिया-कलापो के आदान- प्रदान हेतु एक अनुबंध (MOU) हस्ताक्षरित किया है।

2- मा. कुलपति महोदय ने परिषद् को यह भी अवगत कराया कि ‘द डिवाइन लाइफ सोसाइटी (The Divine Life Society) के द्वारा विश्वविद्यालय में परम्परागत विषयों के 17 विभागों के

शास्त्री कक्षा के तीनों वर्षों (शास्त्री-1,2 एवं 3) के प्रत्येक एक एक छात्रों को शैक्षणिक के प्रदर्शन एवं आर्थिक आधार को दृष्टि में रखते हुए रु.10,000/- प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संस्था से अनुबंध (MOU) किया है।

कार्यपरिषद् कुलपति महोदय के उपर्युक्त सूचना से अवगत होकर कृत कार्यवाही पर अपनी सहष्र स्वीकृति प्रदान की।

अंत में कुलसचिव ने माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कुलपति महोदय की अनुमति से सभा विसर्जन की घोषणा की।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी